RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
मार्च
01
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

SPHEREx अंतरिक्ष दूरबीन / SPHEREx Space Telescope

संदर्भ:

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन **(NASA)** 28 फरवरी 2025 को कैलिफोर्निया, अमेरिका से **SpaceX Falcon 9** रॉकेट के जरिए अपना नया अंतरिक्ष टेलीस्कोप **SPHEREx** लॉन्च करने के लिए तैयार है।

SPHEREx टेलीस्कोप:

SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer) नासा द्वारा विकसित एक नया अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। इसका उद्देश्य **पूरा आकाश इन्फ्रारेड प्रकाश में मैप करना** और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगाओं के निर्माण और जीवन के लिए आवश्यक अणुओं के वितरण को समझना है।

SPHEREx का उद्देश्य

1. **ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति (Cosmic Inflation) का अध्ययन:**
   - बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के तीव्र विस्तार (rapid expansion) की जांच करेगा।
2. **आकाशगंगाओं का मानचित्रण (Map Galaxies):**
   - **450 मिलियन (45 करोड़) से अधिक आकाशगंगाओं** का सर्वेक्षण करेगा ताकि उनकी वितरण और विकास (distribution & evolution) को समझा जा सके।
3. **पानी और जैविक अणुओं की खोज (Search for Water and Organic Molecules):**
   - **दूधिया गैलेक्सी (Milky Way)** में जीवन के लिए आवश्यक जलाशयों (reservoirs of water) और जैविक अणुओं (life-essential molecules) की पहचान करेगा।
4. **3D ब्रह्मांडीय नक्शा तैयार करना (Create a 3D Cosmic Map):**
   - **102 रंग बैंड (color bands)** में एक विस्तृत **तीन-आयामी (3D) नक्शा** विकसित करेगा।

SPHEREx की प्रमुख विशेषताएँ

1. **उन्नत तकनीक:** निकट-अवरक्त प्रकाश (near-infrared light) का उपयोग करेगा, जिससे वे वस्तुएँ देखी जा सकेंगी जो मानव आँखों के लिए अदृश्य हैं।
2. **संपूर्ण आकाश सर्वेक्षण:** हर छह महीने में पूरे आकाश का मानचित्रण करेगा।
3. **उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा:** 102 रंग बैंड (color bands) में डेटा प्रदान करेगा, जो पहले के ऑल-स्काई मैप्स (all-sky maps) से अधिक उन्नत होगा।
4. **लक्ष्य पहचान:** जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) जैसे मिशनों के लिए आगे अध्ययन हेतु वस्तुओं की पहचान करेगा।

मिशन की अवधि: यह **2 साल तक चलेगा**, जिसमें पूरे आकाश का **4 बार सर्वेक्षण** किया जाएगा।

SPHEREx की महत्ता:

1. **ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति की समझ:** बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के अत्यधिक विस्तार (exponential expansion) को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा।
2. **जीवन के निर्माण खंडों की खोज:** तारों के निर्माण क्षेत्रों (star-forming regions) और ग्रह प्रणाली (planetary systems) में जल (water) और जैविक अणुओं (organic molecules) की पहचान करेगा।
3. **भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की नींव:** यह डेटा आगामी अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं (space exploration projects) को दिशा देने में मदद करेगा।
4. **वैश्विक सहयोग:** इसमें कोरिया एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी शामिल हैं।

यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स पर भारत की चिंताएं / India's Concerns Over the European Union's Carbon Tax

संदर्भ:

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने के लिए जारी वार्ताओं के तहत, भारत **यूरोपीय संघ (EU) के प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)** को लेकर चिंता जता रहा है। यह तंत्र जनवरी 2026 से **स्टील और एल्युमीनियम जैसे कार्बन-गहन आयात** पर शुल्क लगाएगा। कुछ उत्पादों पर यह **कार्बन टैक्स 30% तक** हो सकता है, जिससे यूरोपीय बाजार में भारत के निर्यात, विशेष रूप से धातुओं और अन्य कार्बन-गहन वस्तुओं पर असर पड़ सकता है।

यूरोपीय संघ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM):

CBAM एक **कार्बन शुल्क (carbon tariff)** है, जिसे **यूरोपीय ग्रीन डील (European Green Deal)** के तहत लागू किया गया है। यह **2026** में प्रभावी होगा, जबकि वर्तमान **संक्रमणकालीन चरण (2023-2025)** तक रहेगा।

उद्देश्य:

1. **कार्बन मूल्य निर्धारण:** कार्बन-गहन उत्पादों के उत्पादन से उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाना।
2. **कार्बन रिसाव को रोकना:** उत्पादन को ऐसे देशों में स्थानांतरित होने से रोकना, जहां कार्बन लागत कम या नहीं है।
3. **स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन:** गैर-ईयू देशों में हरित तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।
4. **जलवायु लक्ष्यों की रक्षा:** यह सुनिश्चित करना कि ईयू के जलवायु परिवर्तन उद्देश्यों पर बाहरी कार्बन उत्सर्जन प्रभाव न डाले।
5. **डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप:** CBAM को **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के नियमों के अनुकूल बनाया गया है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. कार्बन प्रमाणपत्र (Carbon Certificates):

- ईयू आयातकों को CBAM प्रमाणपत्र खरीदने होंगे, जो स्थानीय उत्पादन के समान कार्बन कीमत दर्शाएंगे।
- इन प्रमाणपत्रों की कीमत ईयू कार्बन क्रेडिट बाजार की नीलामी कीमतों के अनुसार तय होगी।
- प्रत्येक वर्ष आयातित वस्तुओं की मात्रा और उनके अंतर्निहित कार्बन उत्सर्जन के आधार पर आवश्यक प्रमाणपत्रों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- यदि कोई देश यह साबित कर सकता है कि आयातित वस्तु के उत्पादन पर पहले ही कार्बन शुल्क चुका दिया गया है, तो यह राशि समायोजित की जाएगी।
- जिन देशों में ईयू के बराबर घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण लागू है, वे बिना CBAM प्रमाणपत्र खरीदे निर्यात कर सकते हैं।

भारत की चिंताएँ और CBAM का प्रभाव:

भारत की प्रमुख चिंताएँ:

1. असमान और अनुचित करार:

- भारत CBAM को "साझी लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों" (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) सिद्धांत का उल्लंघन मानता है।
- CBDR के अनुसार, विकसित और विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन से निपटने की समान जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए।
- ईयू का तर्क है कि CBAM विश्व व्यापार संगठन (WTO) नियमों के अनुरूप है और यह केवल ईयू की घरेलू जलवायु नीतियों का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है।

2. डेटा गोपनीयता (Data Privacy) की समस्या:

- CBAM के तहत, भारतीय निर्यातकों को 1,000 से अधिक डेटा पॉइंट्स प्रस्तुत करने होंगे, जो कई लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए चुनौतीपूर्ण है।
- यह अनुपालन बोझ छोटे व्यवसायों के लिए अधिक कठिन बना देगा।

3. व्यापार और पर्यावरणीय मुद्दों को अलग रखना:

- भारत का मानना है कि कार्बन टैक्स जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को व्यापार नीतियों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
- इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा और विकासशील देशों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

भारत के निर्यात पर प्रभाव:

1. प्रभावित क्षेत्र:

- भारत ईयू को बड़ी मात्रा में इस्पात (Steel) और एल्यूमिनियम (Aluminium) निर्यात करता है, जिन पर CBAM के तहत 20-35% टैक्स लगाया जा सकता है।
- यदि CBAM अधिक उत्पादों पर लागू होता है, तो भारत के कुल ईयू निर्यात का 43% (लगभग $37 बिलियन) खतरे में पड़ सकता है।

2. 2022-23 का निर्यात आँकड़ा:

- $75 बिलियन मूल्य के भारतीय उत्पाद ईयू को निर्यात किए गए।
- भारत के कुल निर्यात का 15% से अधिक ईयू को जाता है।
- इस्पात, कपड़ा और रसायन जैसे प्रमुख क्षेत्र बढ़े हुए करों के कारण प्रभावित होंगे।

सीमांकन / Delimitation

संदर्भ:

केंद्रीय गृह मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की चिंताओं का जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि प्रस्तावित **सीमा निर्धारण (Delimitation) प्रक्रिया** के बाद दक्षिण भारतीय राज्यों की **संसदीय सीटों में कोई कमी नहीं की जाएगी**।

सीमांकन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ:

1. **जनसंख्या नियंत्रण का दंड**: दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया, लेकिन वे सीटें गंवा सकते हैं।
    - इससे अच्छे प्रशासन के बावजूद नुकसान हो सकता है।
2. **राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असंतुलन:** जनसंख्या के आधार पर पुनर्वितरण से दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।
3. **संघवाद (Federalism) और क्षेत्रीय स्वायत्तता**
    - यदि उत्तर भारत के राज्यों को अधिक सीटें मिलती हैं, तो राष्ट्रीय नीतियाँ उनके पक्ष में बन सकती हैं।
    - इससे दक्षिणी राज्यों में असंतोष बढ़ सकता है।

सीमांकन (Delimitation) क्या है?

सीमांकन वह प्रक्रिया है जिसमें संसदीय और विधानसभा सीटों की संख्या तय की जाती है और उनकी सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं।

- यह जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करता है।

भारत में सीमांकन का इतिहास:

1. **1976 से पहले**: **1951, 1961 और 1971 की जनगणनाओं** के बाद लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्वितरण किया गया।
2. **42वां संशोधन (1976)**
    - आपातकाल के दौरान, संसद ने **2001 की जनगणना तक सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया**।
    - यह **परिवार नियोजन कार्यक्रमों** को बढ़ावा देने और अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को सीटें खोने से बचाने के लिए किया गया।
3. **2001 का सीमांकन**
    - **विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाएँ बदली गईं**, लेकिन **सीटों की संख्या नहीं बदली गई**।
    - दक्षिणी राज्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे अधिक सीटें गंवा सकते थे।

सीमांकन कौन करता है?

- **सीमांकन आयोग (Delimitation Commission)** संसद के एक अधिनियम के तहत गठित किया जाता है।
- यह एक **स्वतंत्र निकाय** है, और इसके निर्णयों को **किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती**।
- **निर्वाचन आयोग (Election Commission)** इस प्रक्रिया में सहयोग करता है।

सीमांकन से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

1. **अनुच्छेद 82**: प्रत्येक जनगणना के बाद, संसद **सीमांकन अधिनियम (Delimitation Act)** पारित करती है, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ पुनः तय होती हैं।
2. **अनुच्छेद 170**: राज्यों को सीमांकन अधिनियम के अनुसार चुनावी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
3. **42वां संशोधन अधिनियम (1976)**: लोकसभा सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दी गई ताकि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा सके।
4. **84वां संशोधन अधिनियम (2001)**: 1991 की जनगणना के आधार पर केवल सीमाओं में बदलाव किया गया, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बदली गई।
5. **87वां संशोधन अधिनियम (2003)**: 2001 की जनगणना के आधार पर सीमांकन किया गया, लेकिन सीटों का आवंटन पूर्ववत रखा गया।

भारत में सीमांकन:

- **चार बार सीमांकन किया गया** → **1952, 1963, 1973 और 2002**
- **पहली बार (1950-51)** → राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सहायता से किया गया।
- **अंतिम पूर्ण सीमांकन (1976)** → **1971 की जनगणना** के आधार पर **राज्यवार सीटों की संख्या में बदलाव हुआ**।

प्रधान पति संस्कृति को समाप्त करने के लिए कठोर दंड लागू करने का सुझाव / Enforce Exemplary Penalties to end Pradhan Pati Culture

संदर्भ:

पंचायती राज मंत्रालय ने **'प्रधान पति' संस्कृति** पर रोक लगाने के लिए एक समिति का गठन किया था। **सुप्रीम कोर्ट के आदेश** पर **2023 में गठित सुशील कुमार समिति** ने अपनी रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय को सौंप दी है।

- इस समिति ने ऐसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यों में उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों का हस्तक्षेप रोकना जरूरी है, ताकि महिला प्रधानों की शक्तियों के दुरुपयोग पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।

सरपंच पति:

- यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाने वाला शब्द है जब महिलाएँ **सरपंच** या **प्रधान** के रूप में चुनी जाती हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता और निर्णय लेने का कार्य उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार (जैसे सरपंच-पति, सरपंच-देवर, प्रधान-पति) करते हैं।
- इसका अर्थ है कि कानूनी रूप से (de jure) तो महिलाएँ निर्वाचित होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से (de facto) पंचायत उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार चलाते हैं।

महिला आरक्षण के संदर्भ में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:

1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992:

- पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण।
- 21 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने इसे बढ़ाकर 50% आरक्षण किया।
- **कानूनी कमी:** यह अधिनियम प्रॉक्सी नेतृत्व पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाता, जिससे पुरुष रिश्तेदारों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

2. सुप्रीम कोर्ट का आदेश (जुलाई 2023):

- **मामला:** Mundona Rural Development Foundation बनाम भारत संघ।
- **निर्देश:** सुप्रीम कोर्ट ने **पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)** को प्रॉक्सी नेतृत्व को रोकने के लिए जांच करने और आवश्यक कदम सुझाने का आदेश दिया।

प्रॉक्सी नेतृत्व से निपटने के लिए प्रमुख सिफारिशें:

1. कानूनी और नीतिगत सुधार:

- **सख्त दंड:** प्रॉक्सी नेतृत्व के मामलों में कड़ी सजा दी जाए।
- **नियमों का मानकीकरण:** पूरे देश में समान कानूनी नीति बनाई जाए

2. हेल्पलाइन और व्हिसलब्लोअर सुरक्षा तंत्र:

- **गोपनीय हेल्पलाइन:** महिला प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित हेल्पलाइन बनाई जाए।
- **व्हिसलब्लोअर इनाम योजना:** प्रमाणित शिकायतों पर इनाम दिया जाए।

3. महिला-विशेष कोटा:

- पंचायत समिति और वार्ड स्तरीय समितियों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें।

4. पंचायतों में महिला लोकपाल की नियुक्ति:

- महिला लोकपाल नियुक्त कर शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जाए।
  - *उदाहरण:* ओडिशा के कुछ जिलों में यह व्यवस्था लागू होने से शिकायत निवारण में सुधार हुआ है।

5. महिला प्रधानों का सार्वजनिक शपथ ग्रहण: ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से शपथ लेना अनिवार्य किया जाए, जिससे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो।

6. नेतृत्व प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:

- प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और कानूनी अधिकारों पर अनिवार्य प्रशिक्षण।
- स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा।

7. महिला विधायकों और सांसदों द्वारा सीधा मार्गदर्शन: महिला प्रधानों को अनुभवी महिला नेताओं द्वारा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन दिया जाए।

8. पंचायतों में जेंडर रिसोर्स सेंटर:

- कानूनी सलाह, नेतृत्व प्रशिक्षण और नेटवर्किंग के लिए केंद्र स्थापित किए जाएं।

9. प्रौद्योगिकी और डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग:

- VR (वर्चुअल रियलिटी)-आधारित प्रशिक्षण: वास्तविक प्रशासनिक स्थितियों का अनुभव प्रदान करने के लिए।
- AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)-आधारित कानूनी और प्रशासनिक मार्गदर्शन: स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए

10. महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी पर डिजिटल ट्रैकिंग:

- **पंचायत निर्णय पोर्टल:** नागरिकों को महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति और भागीदारी ट्रैक करने की सुविधा।

समुद्री क्षेत्र / Maritime Sector

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्री **श्री सर्बानंद सोनोवाल** ने **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW)** के तहत प्रमुख पहलें लॉन्च कीं, जिनका उद्देश्य भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, वैश्विक व्यापार में इसकी भागीदारी बढ़ाना और स्थिरता को बढ़ावा देना है।

इन पहलों के तहत:

- बंदरगाहों की दक्षता में सुधार
- सुविधाओं का उन्नयन और वैश्विक व्यापार नेटवर्क से एकीकरण
- कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि
- हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर पर्यावरण अनुकूल बंदरगाह संचालन

शुरू की गई प्रमुख पहलें:

1. वन नेशन-वन पोर्ट प्रोसेस (ONOP)

- भारत के प्रमुख बंदरगाहों के संचालन को **मानकीकृत और सुव्यवस्थित** करने की पहल।
- **लाभ:** परिचालन देरी, अक्षमताओं और लागत में कमी।

2. सागर अंकलन – लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPPI)

- भारत के बंदरगाहों की **दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा** बढ़ाने के लिए विकसित एक उपकरण।
- **प्रमुख संकेतक:** कार्गो हैंडलिंग, टर्नअराउंड समय आदि का मूल्यांकन।

3. भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम

- भारत की **समुद्री व्यापार पहुंच** को विस्तारित करने और व्यापार लचीलेपन को मजबूत करने की पहल।

4. मैत्री (MAITRI) ऐप

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नियामकीय प्रक्रियाओं को **सरल और तेज** करने हेतु एक मास्टर एप्लिकेशन।
- **लाभ:** व्यापार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, अनावश्यक नौकरशाही प्रक्रियाओं में कटौती और शीघ्र स्वीकृति।

5. इंडिया मैरीटाइम वीक (27-31 अक्टूबर, 2025)

- भारत की **समुद्री विरासत और विकास** को समर्पित द्विवार्षिक वैश्विक आयोजन।
- **प्रतिभागी:** 100 देश और 1,00,000 से अधिक प्रतिनिधि।

भारत का समुद्री क्षेत्र:

रणनीतिक स्थिति: दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों पर स्थित, भारत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और उभरती वैश्विक शक्ति है।

⇒ **महत्व:** भारत का समुद्री क्षेत्र **95% व्यापार (वॉल्यूम में) और 70% (मूल्य में)** संभालता है, जिससे इसका बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

⇒ **कार्गो हैंडलिंग में वृद्धि:** 2014-15 से 2023-24 तक प्रमुख बंदरगाहों की वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता में **87.01%** की वृद्धि हुई।

⇒ **निर्यात में बढ़ोतरी:** भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट **FY23 में 451 अरब डॉलर** तक पहुंच गया, जो FY22 में 417 अरब डॉलर था।

⇒ **वैश्विक स्थान:** भारत **16वां** सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र है, और इसके जलमार्गों से प्रमुख व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं।

भारत सरकार की प्रमुख समुद्री पहल:

- **मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 (MIV 2030):** भारत को **शीर्ष 10 शिपबिल्डिंग राष्ट्र** बनाने और **150+ नई योजनाओं** के साथ एक प्रभावी और सतत समुद्री प्रणाली विकसित करने की योजना।
- **सागरमाला कार्यक्रम:** भारत के **समुद्री तट और जलमार्गों** का अधिकतम उपयोग कर **बंदरगाह अवसंरचना, तटीय विकास और कनेक्टिविटी** को मजबूत करना।
- **मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड:** **₹25,000 करोड़ का कोष** बंदरगाहों और शिपिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए, जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **अंतर्देशीय जलमार्ग विकास:** **26 नए राष्ट्रीय जलमार्गों** को विकसित कर सड़क और रेल यातायात के दबाव को कम करना और परिवहन का हरित विकल्प प्रदान करना।
- **ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP):** **2040 तक सभी प्रमुख बंदरगाहों पर पारंपरिक ईंधन वाले टग्स को हरित, पर्यावरण-अनुकूल टग्स से बदलने** की योजना।
- **सागरमंथन संवाद:** भारत को **वैश्विक समुद्री रणनीतिक चर्चाओं का केंद्र** बनाने के लिए एक वार्षिक संवाद।
- **शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी (SBFAP 2.0):** भारतीय शिपयार्ड को **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने** के लिए आर्थिक सहायता और नीति सुधार।

भविष्य की योजना:

- **$82 अरब निवेश** से 2035 तक बंदरगाह बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- **नई शिपिंग कंपनी** स्थापित कर 1,000 से अधिक जहाजों का बेड़ा बढ़ाने की योजना।

परमाणु हथियार 'विनाश का एकतरफा रास्ता' / Nuclear weapons are 'one-way road to annihilation

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र महासचिव **एंतोनियो गुटेरेस** ने बढ़ते परमाणु संघर्ष के खतरे को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्थाएं कमजोर हो रही हैं और सैन्य खर्च तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दुनिया के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। गुटेरेस ने सभी देशों से पूर्ण निरस्त्रीकरण (Total Disarmament) की दिशा में ठोस कदम उठाने का आह्वान किया।

न्यूक्लियर हथियार:

न्यूक्लियर हथियार एक विस्फोटक उपकरण है जो अपने विनाशकारी बल को **नाभिकीय अभिक्रियाओं (nuclear reactions)** से प्राप्त करता है। यह **दो प्रकार** के होते हैं:

1. **विखंडन बम (Fission Bomb या परमाणु बम)** – इसमें **नाभिकीय विखंडन** (nuclear fission) की प्रक्रिया होती है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है।
2. **थर्मोन्यूक्लियर बम (Hydrogen Bomb)** – इसमें **विखंडन और संलयन (fission और fusion)** दोनों प्रक्रियाएँ होती हैं, जिससे और अधिक शक्तिशाली **नाभिकीय विस्फोट (nuclear explosion)** होता है।

परमाणु हथियारों से उत्पन्न वर्तमान जोखिम:

1. वैश्विक सुरक्षा पर बढ़ता खतरा:

- **भू-राजनीतिक तनाव** और राष्ट्रों के बीच घटते विश्वास से परमाणु संघर्ष की आशंका बढ़ रही है।
- **सैन्य खर्च में वृद्धि** परमाणु हथियारों की तैनाती को और बढ़ावा दे रही है।

2. निरस्त्रीकरण संधियों का क्षरण:

- **परमाणु परीक्षण और प्रसार** के खिलाफ प्रमुख संधियाँ और मानदंड कमजोर हो रहे हैं।
- कई राष्ट्र **अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरस्त्रीकरण संधियों** का उल्लंघन कर रहे हैं।

3. परमाणु धमकी (Nuclear Blackmail):

- राष्ट्र अपने विरोधियों को **डराने या दबाव बनाने** के लिए परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं।
- इससे वैश्विक **अस्थिरता और तनाव** में वृद्धि हो रही है।

4. परमाणु हथियारों का विस्तार:

- कई देश **अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं**।
- **नए हथियारों की दौड़** शुरू हो गई है, जैसे कि **अंतरिक्ष में सैन्यकरण**।

5. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का हथियारीकरण:

- **AI-नियंत्रित हथियार प्रणालियाँ** मानव नियंत्रण को कम कर सकती हैं।
- **अप्रत्याशित लॉन्च** (Unintended Launch) की संभावना बढ़ जाती है, जिससे वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament):

1. निरस्त्रीकरण सम्मेलन: इसका उद्देश्य **परमाणु निरस्त्रीकरण, बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकना** और **नए विनाशकारी हथियारों** से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।

2. परमाणु अप्रसार संधि (NPT)

- **परमाणु हथियारों और तकनीक के प्रसार को रोकने** के लिए यह संधि बनाई गई है।
- इसका उद्देश्य **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना** और **निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना** है।

3. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT - Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)

- यह संधि **सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है**, चाहे वे सैन्य हों या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए।

4. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA - International Atomic Energy Agency)

- यह **वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग** का प्रमुख मंच है।
- इसका कार्य **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना** और **सुरक्षा उपायों को लागू करना** है।

चोलनाइक्कन जनजाति / Cholanaikkan Tribe

संदर्भ:

केरल के **सामग्र शिक्षा कार्यक्रम** के तहत **चोलानाइकन जनजाति** की एक **बीमार और बिस्तर पर सीमित लड़की** को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग ने इस जनजाति की विशिष्ट भाषा में 30 ऑडियो-वीडियो पाठ्य सामग्री तैयार की है, जिससे उसे अपनी मातृभाषा में सीखने का अवसर मिल सके।

चोलानायक्कन जनजाति (Cholanaikkan Tribe):

1. नामकरण (Nomenclature):

- **चोलानायक्कन** को **मलानायक्कन** या **शोलनायक्कन** भी कहा जाता है।
- इन्हें **"केरल की गुफावासी जनजाति"** (Cavemen of Kerala) के रूप में जाना जाता है।
- नाम की उत्पत्ति:
  - **"शोला" या "चोला"** = गहरी जंगल, **"नायकन"** = राजा

2. वर्गीकरण (Classification): यह जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) में शामिल है।

3. जनसंख्या (Population): इनकी कुल संख्या **400 से भी कम** है।

4. आवास (Habitat):

- **मलप्पुरम जिले की नीलांबुर घाटी** में स्थित **संरक्षित वनों** में निवास करते हैं।
- उनकी बस्तियों को **"जन्मम"** कहा जाता है, जिनमें **2 से 7 परिवार मिलकर "चेम्मम"** बनाते हैं।

5. आजीविका (Occupation):

- मुख्य रूप से **वन संसाधनों पर निर्भर** रहते हैं।
- खेती नहीं करते क्योंकि हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की आशंका अधिक रहती है।

6. बाहरी दुनिया से अलगाव (Isolation from Outsiders):

- इनका क्षेत्र **अत्यधिक प्रतिबंधित** है।
- बाहरी लोगों को जंगल में प्रवेश और संसाधन एकत्र करने की अनुमति नहीं है।

7. भाषा (Language):

- इनकी भाषा एक **विशिष्ट द्रविड़ भाषा-भाषी बोली** है।
- यह मलयालम और कन्नड़ से कुछ समानताएँ रखती है, लेकिन पूरी तरह अलग है।

8. संस्कृति (Culture): इनके नामों में हिंदू पौराणिक कथाओं का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता, जिससे इनका लंबे समय से अलग-थलग रहना स्पष्ट होता है।

हेरथ / Herath

संदर्भ:

हेरथ (Herath) कश्मीरी पंडित समुदाय का विशेष **महाशिवरात्रि उत्सव** है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है।

- यह **फाल्गुन मास की त्रयोदशी** से शुरू होकर **अमावस्या तक** चलता है, जो आमतौर पर **फरवरी या मार्च** में पड़ता है।

हेरथ पर्व (Herath Festival):

1. नाम की उत्पत्ति (Origin of Name): **"हेरथ"** संस्कृत शब्द **"हररात्रि"** से लिया गया है, जिसका अर्थ है **"हर (भगवान शिव) की रात"**।

2. उत्सव का स्वरूप (Celebration)

- रातभर **प्रार्थना और पूजा** की जाती है।
- अगले दिन **भोजन और उत्सव** मनाए जाते हैं।

3. प्रमुख अनुष्ठान (Key Rituals and Practices)

वातुक पूजा (Vatuk Pooja)

- **मुख्य पूजा** होती है, जिसमें **जल और अखरोट से भरे कलश** की पूजा की जाती है।
- यह **चार वेदों का प्रतीक** माना जाता है।

डूनी-मावस (Dooni-Mavas): **अखरोट को प्रसाद** के रूप में वितरित किया जाता है।

विशेष अभिवादन (Greetings): एक-दूसरे को **"Herath Poshte"** कहकर शुभकामनाएँ दी जाती हैं।

भोजन (Food Traditions): इस दिन **मछली और मटन** का सेवन किया जाता है।

- यह **महाशिवरात्रि के अन्य व्रतों से अलग परंपरा** है, जहाँ उपवास अधिक प्रचलित होता है।

कैली फ़ंड / Cali Fund

संदर्भ:

हाल ही में **रोम में आयोजित जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD) के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP16)** में **'Cali Fund'** की शुरुआत की गई। यह कोष **वैश्विक जैव विविधता संरक्षण** को समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है।

1. परिचय (Introduction):

- **स्थापना: 25 फरवरी 2025**, **COP16 (Rome)** में शुरू किया गया।
- **उद्देश्य: जैव विविधता वित्त पोषण** को बढ़ावा देना, खासकर उन कंपनियों से योगदान प्राप्त करना जो **प्राकृतिक आनुवंशिक डेटा** का उपयोग करती हैं।
- यह **संयुक्त राष्ट्र (UN) का पहला वैश्विक जैव विविधता कोष** है, जो सीधे **व्यवसायों से वित्तीय योगदान** प्राप्त करेगा।

2. प्रमुख विशेषताएँ (Key Features):

प्रबंधन और प्रशासन (Management & Administration)

- **UNDP और UNEP** द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- **Multi-Partner Trust Fund Office (MPTFO)** प्रशासनिक कार्यों को देखेगा।

वित्तीय स्रोत (Funding Sources):

- **Digital Sequence Information (DSI)** से संबंधित उद्योग योगदान देंगे।
- इसमें **फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, कृषि और जैव-प्रौद्योगिकी** कंपनियाँ शामिल हैं।
- कंपनियाँ अपने **राजस्व का एक निश्चित हिस्सा** कोष में योगदान देंगी।

कोष का उपयोग (Utilization of Funds):

- **जैव विविधता संरक्षण परियोजनाएँ**।
- **विकासशील देशों को जैव विविधता कार्य योजनाएँ लागू करने में सहायता**।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वित्त पोषण**।
- **कम से कम 50% धनराशि स्वदेशी समुदायों और स्थानीय समुदायों** को दी जाएगी, जो जैव विविधता संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं।

महत्व: **Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF)** के तहत **2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने और उलटने** का लक्ष्य पूरा करने में सहायक।

वीर सावरकर / Veer Savarkar

संदर्भ:

26 फरवरी 2025 को **वीर सावरकर की 59वीं पुण्यतिथि** मनाई गई। इस अवसर पर **भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की** और उनके राष्ट्रवादी विचारों व स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को स्मरण किया।

वीर सावरकर: जीवन, विचारधारा और योगदान

जीवन परिचय:

- जन्म: **28 मई 1883**, भगूर, नासिक, महाराष्ट्र (चित्पावन ब्राह्मण परिवार)
- उपाधियां: **'स्वातंत्र्यवीर', 'हिंदुत्व के विचारक'**
- **1899:** भाई **गणेश सावरकर** के साथ **मित्र मेला** (क्रांतिकारी संगठन) की स्थापना, जिसे **1904 में अभिनव भारत सोसाइटी** नाम दिया गया।
- **यूके प्रवास: इंडिया हाउस** और **फ्री इंडिया सोसाइटी** से जुड़े।
- **1910: देशद्रोह के आरोप में गिरफ़्तारी।**
- **अंडमान की सेल्युलर जेल में 12 वर्ष** (1911-1923) का कठोर कारावास।
- **1937-1943: हिंदू महासभा के अध्यक्ष।**
- **1951: अभिनव भारत को भंग** कर हिंदू महासभा के विचारों के प्रचार में संलग्न।
- **26 फरवरी 1966: आत्मनिर्णीत उपवास** के कारण देह त्याग।

प्रमुख रचनाएं:

- **मैजिनी चरित्र (1906)**
- **1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1907):** 1857 की क्रांति को **भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम** बताया।
- **हिंदुत्व का सार (1923):** हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा पर केंद्रित।

विचारधारा:

- राजनीतिक दर्शन में **मानवतावाद, यथार्थवाद, उपयोगितावाद, तर्कवाद, और सार्वभौमिकता** का समावेश।
- **इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेपे मैजिनी से प्रेरित**, 1907 में उनकी जीवनी **"मैजिनी चरित्र"** लिखी।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

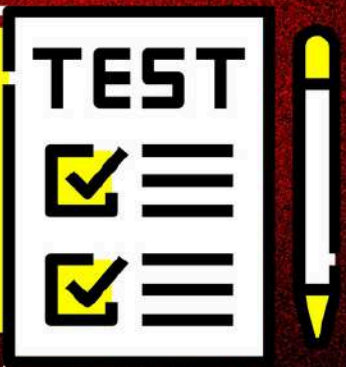

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !